फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत — सहायक कलक्टर मु0 — मुकाम — धौलपुर —

उनवान : भागीरथ बगैरा बनाम रूद्रदत्त बगैरा

किस्म मुकद्दमा— 152, सीपीसी — नम्बर —— 8 —— सन्— 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.09.2025	प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस आशय का पेश हुआ कि न्यायालय में उनवानी प्रकरण भागीरथ बगैरा बनाम रूद्रदत्त अन्तर्गत 212 आरटीए में निर्णय दिनांक 25.08.2025 को उभयपक्ष की सायलान द्वारा आराजी खसरा नम्बर 720, 725, 734, 735, 755, 756, 757, 758, 886/759 बाकै ग्राम नरपुरा तहसील व जिला धौलपुर पर अपना दावा एवं प्रार्थना पत्र विड्रो किया था। जिसके आदेश न्यायालय श्रीमान् द्वारा जारी करते समय सहवन से आदेशिका दिनांक 25.08.2025 में पंक्ति संख्या 15 के बाद अंकित शब्द अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की जाती है स्थान पर अंतरिम अस्थाई अपास्त की जाती है अंकित हो गया। इसलिए उक्त पंक्ति में निषेधाज्ञा शब्द अंकित किये जाने का संशोधन का निवेदन किया है। पत्रावली एवं आदेशिका दिनांक 25.08.2025 का अवलोकन किया, सायलान द्वारा उपरोक्त आराजी पर अपना मूलवाद एवं प्रार्थना पत्र विड्रॉ किया है। लेकिन टंकण भूल से निषेधाज्ञा शब्द लिखने से रह गया है। जो कि सद्भावी लिपिकीय भूल हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152, सीपीसी के अन्तर्गत लिपिकीय त्रुटि का सुधार किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रकरण संख्या 04/2019 उनवानी भागीरथ बनाम रूद्रदत्त बगैरा की आदेशिका दिनांक 25.08.2025 की लाईन संख्या 15 के बाद अंकित वाक्य "अंतरिम अस्थाई" के बाद "निषेधाज्ञा" शब्द अंकित किये जाने का संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे रहे। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)	.